




दिनांक अथवा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/1/22	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. लाहौर राजकोट  कार्यालय में पत्रावली पेश करने का कारण  कार्यवाही नहीं की जा सकी।  पत्रावली दिनांक 3/2/22 को पेश की।</p>	
3/2/22	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. लाहौर/अन्य  कार्यालय में पत्रावली पेश करने के कारण कार्यवाही  नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  4/2/22 को पेश की।</p>	
4/2/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। कबीलावादी एवं वकीला  प्रतिवादी उपस्थित। प्राची कल्याण (वैय उपस्थित)  दोकर प्रार्थना पत्र व्यावत विज्ञा क्रिमे अनि वाद  पत्र का पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया  गया। वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र व्यावत विज्ञा पर  उभयपक्ष वकूलाप एवं वकी कल्याण को सुना  गया। कल्याणवादी कल्याण के द्वारा न्यायालय  द्वारा कोर्ट से विवेक किया गया कि पत्रकारान कल्याण  के लोक अदालत की भावना से एवं आपसी समझौते  से राजीनामा दी चुका है। एवं वकी उक्त वाद पत्र  में अब कोई अतिम कार्यवाही नहीं करना चाहता है।  वै प्राची/वकी वादवास्त अग्रणी के अपने समस्त  हक व अधिकार प्रतिवादीगण के हक में करके  देहें। अतः वकी अब इस वाद पत्र को अगिले  पलना चाहता है। वकी के द्वारा वाद पत्र को सिद्ध क्रिमे  अनि कीसहमी स्वकप पत्रावली की आवेदिका पर  अच्छे निशानी की जिसकी पहचान वकी के पुत्र के  द्वारा की गई। साथ ही वकी के द्वारा अपनी पहचान  स्वकप लेम के द्वारा प्रमाणित आजाद कई की दामा प्रती  पेश की। अतः वकी एवं वकी अधिकृत एवं प्रतिवादी  अधिकृत को वादपत्र पर एवं प्रार्थना पत्र व्यावत  विज्ञा पर सुने अनि व पत्रावली एवं पत्रावली पर</p>	<p>दिनांक 20/1/22      पहचानकर्ता  उरु  व-शैलाल</p>

कम  
संख्या

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

ओरुद दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अपलोडिंग  
किये जाने पत्रघात वादीके द्वारा प्रस्तुत भूमिका पत्र  
माकत किछु किये जाने को व्यापकता में स्वीकार  
किया जाता है एवं वादी का वाद जरि किछु स्वारिज  
किया जाता है. इसी अउरुप डिक्ली जारी है।  
पनावली केसल कुमार होकर ११ नवंबर से कम  
होने पर वास्तविक पत्रघात है।  
निर्णय आज दिनांक 4/2/2022 को शुद्ध व्यापकता  
एव से इजलास सुनाया गया।

  
उप खण्ड अधिकारी  
बस्सी (जिला जयपुर)